आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

3/10/2023

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.R Case No. -01/2019-20

गणेश पाल एवं अन्य **बनाम** निमाई चन्द्र लायक एवं 16 आना रैयत।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Settlement Case No-.13/2015-16 में दिनांक-13.10.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध रिवीजन है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Settlement Case No-.13/2015-16 में दिनांक-13.10.2017 को पारित आदेश के द्वारा मौजा-डाडर, खाता सं0-79, दाग सं0-1844 अन्तर्गत अंश रकवा-15 डी0 जमीन की बंदोबस्ती की स्वीकृति संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-28 के अन्तर्गत आवेदक के पूर्व सैनिक होने के नाते विशेष परिस्थिति में दिया गया।

अपीलकर्त्ता गणेश पाल एवं अन्य के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा-डाडर के स्थायी जमाबंदी रैयत है। गत सर्वे खतियान में मौजा-डाडर, खाता सं0-79, दाग सं0-1844 किस्म-पुरातन पतित दर्ज है। प्रश्नगत दाग सं0-1844 के जमीन ग्रामीण सड़क के किनारे सटा हुआ है जिसमें ग्राम समूदायों द्वारा विभिन्न प्रयोजन में उपयोग किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Settlement Case No-.13/2015-16 में दिनांक-13.10.2017 को पारित आदेश के द्वारा मौजा-डाडर, खाता सं0-79, दाग सं0-1844 अन्तर्गत अंश रकवा-15 डी0 जमीन की बर्दोबस्ती की स्वीकृति निमाई चन्द्र लायक के नाम पर किया जाना नियमसंगत नहीं है। अंचल अधिकारी नाला द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में ग्रामिणों का सलाह या बैठक नहीं किया गया। 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत नही किया गया। 16 आना के नाम पर किये गये नोटिस में सिर्फ पाँच-छः व्यक्तिओं का हस्ताक्षर गुप्त रूप से लिया गया। आम ग्रामिणों को बंदोबस्ती के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ।

उत्तरवादी निमाई चन्द्र लायक के विज्ञ अधिवक्ता अनुपस्थित। उत्तरवादी को पूर्व में कई नोटिस निर्गत किया गया। तामिला भी प्राप्त है। तामिला प्रतिवेदन के अनुसार वे मौजा-डाडर में दो बार में पाये गये। उत्तरवादी का उक्त वाद में अभिरूचि का अभाव प्रतीत होता है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय के वाद के नोटिस तामिला प्रतिवेदन में पाँच-छः व्यक्तिओं का हस्ताक्षर है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में भी 16 आना रैयत को नोटिस निर्गत किया गया, तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, लेकिन इसके पश्चात् भी 16 आना रैयत द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Settlement Case No-.13/2015-16 में दिनांक-13.10.2017 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण नही है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Settlement Case No-.13/2015-16 में दिनांक-13.10.2017 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

16.10.23

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2023.10.12 11:12:53 +05:30
Location: 192.168.43.106